अनुदान संख्या 14 - दूरसंचार विभाग

GRANT No. 14 - DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व :	**Revenue :**				
स्वीकृत -	Voted –				
मूल	Original	7925,92,00	10575,51,00	10277,14,28	-298,36,72
पूरक	Supplementary	2649,59,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				73,46,00
पूंजीगत :	**Capital**:				
स्वीकृत -	Voted-		1684,95,00	93,12,45	-1591,82,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1588,26,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹29836.72 लाख) अगस्त, 2010, नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹264959.00 लाख के पूरक अनुदानों का 11 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹29836.72 lakhs) constituted 11 percent of supplementary grants of ₹264959.00 lakhs obtained in August, 2010, November, 2010 and March, 2011 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat –Economic services				
मू.	O.	46294.00	25121.23	23318.69	-1802.54
पु.	R.	-21172.77			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"				
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	O.	250000.00			
पू.	S.	120000.00	371795.04	352295.57	- 19499.47
पु.	R.	1795.04			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	1900.00			
			..	..	..
पु.	R.	-1900.00			
मुख्य शीर्ष "3275"	Major Head "3275"				
अन्य संचार सेवाएं	Other Communication Services				
मू.	O.	494398.00			
पू.	S.	144959.00	653288.73	652100.02	-1188.71
पु.	R.	13931.73			

(I) ₹2103.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹2100.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹2103.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these ₹2100.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) "मुख्य शीर्ष "3451" - "सामान्य प्रशासन - दूरसंचार विभाग - दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र" - ₹200.00 लाख सुरक्षा परीक्षण और कार्यक्रम का कार्यान्वयन संबंधी मानक और कार्यप्रणाली तैयार किए जाने में विलम्ब होने के कारण थे।

(A) Major Head "3451" - "General Administration - Department of Telecommunications -Telecom Testing and Security Certification Centre"- ₹200.00 lakhs - due to delay in framing of standards and methodology for security testing and implementation of the programme.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "सचिवालय - आर्थिक सेवाएं- सामान्य प्रशासन - दूरसंचार विभाग - टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र "- ₹1900.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "2552" - "Secretariat - Economic Services - General Administration - Department of Telecommunications - Centre for Development of Telematics" - ₹1900.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक शीर्ष के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilized to the extent as shown against each :-

(का) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल" -

(A) Major Head "2071" – "Civil" -

(क) "पेंशन का संराशीकृत मूल्य - सामान्य पेंशन" - ₹52021.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹22787.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹74808.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, ₹7162.01 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(a) "Commuted Value of Pension - Ordinary Pensions" - the original provision of ₹52021.00 lakhs was augmented to ₹74808.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹22787.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹7162.01 lakhs;

(ख) "उपदान - सामान्य पेंशन" - ₹60746.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹28111.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹88857.00 कर दिया गया था जो, तथापि, ₹9286.76 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(b) "Gratuities - Ordinary Pensions"- the original provision of ₹60746.00 lakhs was augmented to ₹88857.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹28111.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹9286.76 lakhs; and

(ग) "परिवार पेंशन - परिवार पेंशन" - ₹20976.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹11560.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹32536.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, ₹2046.73 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(c) "Family Pensions - Family Pensions"- the original provision of ₹20976.00 lakhs was augmented to ₹32536.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹11560.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2046.73 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें भारत संचार निगम लिमिटेड के गैर-कार्यकारी आमेलित कर्मचारियों के संशोधित वेतनमानों के पुनरीक्षण मामलों के संबंध में दावों के प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to non-receipt of claims in respect of revision cases of revised pay scales of non-executive absorbed employees of Bharat Sanchar Nigam Limited.

(घ) "निश्चित अंशदान पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान - सरकारी अंशदान" - ₹19.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹16.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर

(d) "Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme- Government Contribution"- the original provision of ₹19.00 lakhs was augmented

₹35.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, किफायती उपाय किए जाने के कारण ₹11.88 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

to ₹35.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹16.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹11.88 lakhs-due to economy measures.

(खा) मुख्य शीर्ष "3275" - "बेतार आयोजना और समन्वय -बेतार आयोजना और समन्वय"- ₹1343.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹3056.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹4399.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, पूरी हो चुकी स्कीमों के वार्षिक अनुरक्षण संविदा प्रभारों की अदायगी न किए जाने के कारण ₹965.01 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "3275"-"Wireless Planning and Co-ordination-Wireless Planning and Co-ordination"- the original provision of ₹1343.00 lakhs was augmented to ₹4399.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3056.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹965.01 lakhs - due to non-payment of AMC charges for completed schemes.

(III) मुख्य शीर्ष "3451" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "3451"- savings occurred under the following heads:-

(का) "सचिवालय - सचिवालय - संचार मंत्रालय" - ₹663.03 लाख की बचत (₹1090.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशी दौरों, कार्यालय खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(A) "Secretariat - Secretariat - Ministry of Communications"- saving of ₹663.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1090.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards foreign travel, office expenses and economy measures.

(खा) "सामान्य प्रशासन - दूरसंचार विभाग" -

(B) "General Administration - Department of Telecommunications" –

(क) "निदेशालय" - ₹2770.22 लाख की बचत (₹15478.77 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(a) "Directorate" - saving of ₹2770.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15478.77 lakhs) was due to requirement of less funds towards office expenses and economy measures.

(ख) "दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र" - ₹104.77 लाख की बचत (₹1246.77 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(b) "Telecommunication Engineering Centre"- saving of ₹104.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1246.77 lakhs) was due to economy measures.

(ग) "टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र" - ₹18629.00 लाख की बचत (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति से सुरक्षा अनुसंधान एवं निगरानी स्कीम के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(c) "Centre for Development of Telematics" saving of ₹18629.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs) was due to non-receipt of approval for Security Research and Monitoring Scheme from Cabinet Committee on Economic Affairs.

(घ) "रखरखाव" - ₹103.72 लाख की बचत (₹165.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ठेकेदारों से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ङ) "कर्मचारियों को सुख-सुविधाएं" - ₹163.08 लाख की बचत (₹238.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दूरसंचार कल्याण क्रियाकलापों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(च) "प्रशासक - सार्वभौम सेवा निधि" - ₹203.40 लाख की बचत (₹416.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और विदेश यात्रा खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(छ) "सतर्कता दूरसंचार निगरानी कक्ष" - ₹354.73 लाख की बचत (₹2360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) घरेलू यात्रा खर्चों, कार्यालय खर्चों और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल - छुट्टी नकदीकरण लाभ - सामान्य पेंशन" के अंतर्गत ₹203.21 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹751.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3275" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "निगरानी सेवाएं - बेतार निगरानी सेवाएं" - ₹3590.38 लाख की बचत (₹5475.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापित न किए जाने की वजह से तकनीकी स्कीमें लागू न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय - प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन" - ₹282.94 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दूरसंचार उत्कृष्टता केन्द्रों से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(d) "Maintenance"- saving of ₹ 103.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹165.00 lakhs) was due to non-receipt of bills from the contractor.

(e) "Amenities to Staff" – saving of ₹163.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹238.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Telecom Welfare activities.

(f) "Administrator – Universal Service Fund" – saving of ₹203.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹416.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards foreign travel expenses.

(g) "Vigilance Telecom Monitoring Cells" – saving of ₹354.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2360.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards domestics travel expenses, office expenses and Information Technology.

(IV) Under Major Head "2071" – "Civil – Leave Encashment Benefits – Ordinary Pensions" – saving of ₹203.21 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹751.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to receipt of less claims.

(V) Under Major Head "3275" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Monitoring Services – Wireless Monitoring Services" - saving of ₹3590.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5475.00 lakhs) was due to non-implementation of technical schemes owing to non-creation of Project Implementation Unit.

(B) "Other Expenditure-Technology Development and Investment Promotion"- saving of ₹282.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from Telecom Centres of Excellence.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹16114.92 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3275" - "अन्य व्यय - भारतीय टेलीफोन उद्योग - बंगलौर" के अंतर्गत ₹141903.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सामान्य प्रशासन - दूरसंचार विभाग - लेखापरीक्षा प्रभारों के भाग के कारण एमएच 3201 डाक सेवाओं से अंतरित राशि" - ₹250.00 लाख का अधिक व्यय (₹50.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डाक विभाग से प्राप्त बकाया दावों को निपटाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल - अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - सामान्य पेंशन" - ₹1011.04 लाख का अधिक व्यय (₹57525.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹173008.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3275" - "अन्य व्यय" -

(क) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" - ₹1144.68 लाख का अधिक व्यय (₹1819.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डब्ल्यूटीडीसी-10 सम्मेलन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण" - ₹200.00 लाख का अधिक व्यय (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की "संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना" के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ग) "दूरसंचार विवाद निपटारा एवं अपील अधिकरण" - ₹121.75 लाख का अधिक व्यय (₹861.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराया प्रभारों में हुई

2. (I) The above savings were partly (₹16114.92 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹141903.00 lakhs under Major Head "3275" - "Other Expenditure- Indian Telephone Industries - Bangalore".

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" - "General Administration - Department of Telecommunications - Amount transferred from MH 3201 Postal Services on account of share of Audit Charges" - excess of ₹250.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear outstanding claims received from Department of Posts.

(B) Major Head "2071" - "Civil - Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions"- excess of ₹1011.04 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹173008.00 lakhs including supplementary grant of ₹57525.00 lakhs) was due to receipt of more claims.

(C) Major Head "3275"- "Other Expenditure"-

(a) "International Co-operation"- excess of ₹1144.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1819.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards WTDC-10 Conference.

(b) "Telecom Regulatory Authority of India" - excess of ₹200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of "Institutional Capacity Building Project" of TRAI.

(c) "Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal"- excess of ₹121.75 lakhs (against the sanctioned provision of

बढ़ोतरी से निपटने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

₹861.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to meet increase in rental charges.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	18100.00	..	..	..
पु.	R.	-18100.00			
मुख्य शीर्ष "5275" अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5275" Capital Outlay on Other Communication Services				
मू.	O.	150295.00	9669.00	9312.45	-356.55
पु.	R.	-140626.00			

(I) ₹34454.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹34218.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹34454.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads; of these ₹34218.00 lakhs accounted for under the following major heads :-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय - अन्य व्यय - रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क" - ₹18034.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "4552" - "Capital Outlay on other Communication Services - Other expenditure- OFC based network for Defence Services" - ₹18034.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष “5275” - “अन्य व्यय - मुख्य भूमि और अंडमान निकोबार के बीच समुद्रतल में केबल बिछाना” - ₹16184.00 लाख स्कीम के ब्योरों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(B) Major Head “5275” - “Other Expenditure – Under sea Cabling between Land and Andaman Nicobar” - ₹ 16184.00 lakhs - due to non-finalisation of details of the scheme.

(II) मुख्य शीर्ष “5275” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head “5275”-savings occurred under the following heads:-

(का) “अन्य संचार सुविधाएं - कार्यालय भवन” - ₹979.17 लाख की बचत (₹1251.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण न होने के कारण हुई।

(A) “Other Communication Facilities-Office Building”- saving of ₹979.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 1251.00 lakhs) was due to non-acquisition of land from State Government.

(खा) “अन्य व्यय” -

(क) “दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र” - ₹751.48 लाख की बचत (₹774.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अगली पीढ़ी की परीक्षण प्रयोगशालाओं संबंधी मानक तैयार करने में विलंब होने के कारण हुई।

(ख) “रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क” - ₹122968.00 लाख की बचत (₹131966.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ओएफसी स्कीम के अंतर्गत सेना और नौसेना खण्ड का कार्यान्वयन न होने के कारण हुई।

(B) “Other Expenditure”-

(a) “Telecom Engineering Centre”- saving of ₹751.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹774.00 lakhs) was due to delay in formulation standards on Next Generation Test labs.

(b) “OFC based network for Defence Services”- saving of ₹122968.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹131966.00 lakhs) was due to non-implementation of Army and Navy Segment under OFC Scheme.

4. ***भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण:-***

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना 28 मार्च 1997 को बनाए गए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन की गई थी। ट्राई (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत इस प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया था। ट्राई ने बेहतर गुणवत्ता और सामर्थ्ययोग्य मूल्यों सहित दूरसंचार के क्षेत्र में अधिक स्पर्धा उत्पन्न करने का प्रयास किया है। नई दूरसंचार नीति, 99 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार की दिनांक 9 जनवरी, 2004 की अधिसूचना द्वारा प्रसारण और केबल सेवाएं भी ट्राई के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आ गई हैं। ट्राई के लिए अनुदान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

4. ***Telecom Regulatory Authority of India:-***

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) was established under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 enacted on 28th March, 1997. The TRAI (Amendment) Act, 2000 led to reconstitution of the Authority. TRAI has endeavored greater competition in telecom sector together with better quality and affordable prices. In order to meet the objectives of NTP, 99 vide notification of the Government dated 9th January, 2004, broadcasting and cables services have also come under the purview of TRAI. The grants for TRAI is made by Central Government.

वर्ष 2010-11 की निधि का लेखा इस प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2010-11 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	*Opening Balance*	*17,56,78*
प्राप्तियां	*Receipts*	*42,00,00*
अदायगियां	*Payments*	*39,00,00*
अंतशेष	*Closing Balance*	*20,56,78*

5. ***विश्वव्यापी सेवा दायित्व निधि:-***

नई दूरसंचार नीति 99 में सभी को सामर्थ्ययोग्य और उपयुक्त मूल्यों पर मूल दूरसंचार सेवाओं की पहुंच के अंतर्गत लाने के प्रावधान पर विचार किया गया है। विश्वव्यापी सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधन विश्वव्यापी सेवा उद्ग्रहण के माध्यम से उत्पन्न किए जाएंगे जोकि आपरेटरों और विभिन्न लाइसेंसों के अंतर्गत अर्जित राजस्व का प्रतिशत होंगे। लाइसेंस शुल्क के संघटक के रूप में सेवा प्रदाताओं से विश्वव्यापी सेवा उद्ग्रहण के अंतर्गत संग्रहणों को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और विश्वव्यापी सेवा दायित्व निधि को अंतरण के लिए निधियों का अंतरण बजट प्रक्रिया के अनुसार संसद के अनुमोदन के माध्यम से किया जाता है।

5. ***Universal Service Obligation Fund:-***

The New Telecom Policy 99 (NTP-99) envisages provision of access to basic telecom services to all at affordable and reasonable prices. The resources for meeting the Universal Service Obligation (USO) are to be generated through a Universal Service Levy (USL) which would be a percentage of the revenue earned by the operators under various licenses. Collections towards Universal Service Levy (USL) from service providers as a component of license fee (LF) are creadited to the consolidated fund of India and allotment of funds for transfer to Universal Service Obligation Fund is made through Parliament approval as per budgetary procedure

वर्ष 2010-11 की निधि का लेखा इस प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2010-11 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	*Opening Balance*	*शून्य NIL*
प्राप्तियां	*Receipts*	*3100,00,00*
अदायगियां	*Payments*	*3100,00,00*
अंतशेष	*Closing Balance*	*शून्य NIL*